छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायिक सक्रियतावाद

डॉ. अमन झा

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रारंभिक समाजों में न्यायिक प्रशासन का सुव्यवस्थित कम और सदाचारों के पालन के आधार सम्भव नहीं थे। न्याय वैयक्तिक विषय रहा। इसमें समुदाय सहायता पहुंचाते थे। फलत: सामूहिक प्रतिशोध का विकास होता रहा। समूह के सदाचार का उल्लंघन अपराध माना जाता था। वहीं विधि का भी उल्लंघन था। उल्लंघन करने वाले पर कठोरता दिखायी जाती थी। उसे सामूहिक रूप से दण्ड दिया जाता था क्योंकि उस काल का समाज विश्वास करता था कि व्यक्ति विशेष के अपराध से समग्र समुदाय दैवी भय से ग्रस्त हो सकता है फलतः सारा समुदाय सामुदायिक निष्कासन या मृत्युदंड देता था। इस प्रकार सामूहिक दण्ड विधान में भी वैयक्तिक प्रतिशोध के अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत रहते थे। इस व्यवस्था का विरोध करने वाले सारे समुदाय और उसके नियम का विरोध करने के लिए उत्तरदायी माना जाता था ।

भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही न्यायिक प्रशासन में बदलाव हुए। अब ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सम्पूर्ण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया साथ ही कार्यकारिणी तथा न्यायकारिणी दोनों कार्यों को सम्पादित करने वाली संस्था के रूप में उभर कर आयी इसके उपरान्त 1639 में न्याय प्रणाली की स्थापना हुई न्याय प्रशासन के लिये चार–पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उस समय की न्याय

प्रणाली दोषपूर्ण थी। न्याय करने वाले सामान्यतः भ्रष्टाचारी होते थे न्याय प्रशासन की इस पक्षपातपूर्ण व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि अक्सर अंग्रेज कानून अपने हाथ में ले लेते थे ।

अन्ततः आधुनिक न्याय प्रणाली की स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय होने लगा न्यायालयों के समक्ष जो वाद निर्णित होने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं या तो दिवानी होते है या अपराधिक या फौजदारी ।

आधुनिक न्याय प्रणाली को समझने के लिये हमें न्याय की परंपरागत धारणा को समझना होगा इस धारणा की कुछ मूलभूत मान्यताएं रही है। जिसके अनुसार पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख जा कर न्याय की याचना करें एवं न्यायालय के द्वारा स्वयं को कानून की वैधानिक व्याख्या तथा सम्पूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण में रखा जाना चाहिए यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक–सामाजिक न्याय का दायित्व जन प्रतिनिधियों की संस्था संसद का है और आर्थिक–सामाजिक न्याय सामान्यतया न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है संतोषजनक न्याय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है।

अविभाजित मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित था इस दौरान अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में खंडपीठ की आवश्यकता को महसूस किया इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ बार कौंसिल सदस्यों के द्वारा कुछ तर्क दिये गये जैसे की अविभाजित मध्यप्रदेश के द्वारा कुछ तर्क दिये गये जैसे की अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रांत के वादों की बहुलता, जबलपुर उच्च न्यायालय में प्रकरणों की बहुलता के कारण न्याय में विलंब, भौगोलिक परिस्थितियों प्रतिकूल अर्थात् बस्तर, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया से जबलपुर उच्च न्यायालय की दूरी, जिलों की दूरी के

कारण गरीब तबकों के पहुंच से दूर, आवागमन के साधनों का अभाव, आर्थिक रूप से कमोजर व्यक्तियों का न्याय की पहुंच से दूर होना ।

छत्तीसगढ़ में खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं ने आंदोलन चलाया जा इस प्रकार है 197 अधिवक्ताओं ने लिखा पोस्ट कार्ड, रायपुर में खंडपीठ की मांग को लेकर जनता कर्फ्यू सदर बाजार में सफल रहा आज एम. जी. मार्ग में होगा, स्कूटर रैली निकाली गई, खंडपीठ की मांग को लेकर धरना जारी, वकीलों ने ज्ञापन में खून के अंगूठे लगाये, खंडपीठ हेतु विधि छात्रों द्वारा धरना व चक्का जाम, युवा अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन, छत्तीसगढ़ बिल में पृथक हाइकोर्ट का प्रावधान हो, खंडपीठ एक वायदा जो राजनेताओं ने भूला दिया आयोग ने जब खंडपीठ दे दिया तो शासन क्यों पीछे हट रहा, खंडपीठ के लिए रायपुर का दावा सशस्त, हाईकोर्ट बिलासपुर जाने नहीं देगें वकील। अन्ततः देश के उन्नीसवें उच्च न्यायालय के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनता है जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेंगे प्रत्येक न्यायाधीश स्थायी, अपर या कार्यकारी– इसके पहले निम्न रीति से अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर या किसी अन्य उच्च न्यायालय को आन्तरित किए जाने पर अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार साबित कदाचार या असमर्थत के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा

हटाये जाने पर अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 80,000 रू. प्रतिमाह और मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रू. प्रतिमाह वेतन मिलता है।

उच्च न्यायालय को विभिन्न क्षेत्राधिकार दिये गये हैं जो इस प्रकार है उच्च न्यायालय को राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता उच्च न्यायालय की सामान्य अधिकारिता, प्रशासनिक अधिकरणों पर अधिकारिता, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण।

न्यायिक सक्रियता के प्रसंग में अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष में कहा जा सकता है। कि जब विधायी संस्थाएं और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं तब न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाना आवश्यक हो जाता है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाकर और राज व्यवस्था के विविध अंगों को सचेत कर न्यायापालिका ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इस सीमा तक न्यायिक सक्रियता की स्थिति मात्र एक अस्थायी स्थिति ही हो सकती है।

न्यायिक सक्रियता ने भारतीय राज–व्यवस्था में उपयोगी भूमिका अदा की है, लेकिन न्यायिक सक्रियता की सीमाएं है। वस्तुतः न केवल न्यायापालिका वरन् राज–व्यवस्था के सभी अंगों और पदाधिकारियों को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के साथ–साथ सीमाओं को भी दृष्टि में रखना होगा।

उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका श्री धनुराम वर्मा ने दायर की जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के पलारी आरंग रोड से श्री बद्री प्रसाद वर्मा एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की मिली भगत से पेट्रोल पम्प खोला जा रहा है उसे अनुमति न दी जावें उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस. आर.

नायक एवं श्री डी.आर. देशमुख ने उक्त जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए उसे खारिज किया।

अतः हम कह सकते है कि कई बार जनहित याचिका का दुरपयोग किया जाता है इसका उपयोग जन कल्याण में न करके द्वेष भावना के प्रेरित होकर किया जाता है।

सुझाव :

न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि न्याय में विलंब होना और न्याय का देर से मिलना स्वयं अन्याय है अतः इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कानून और न्याय व्यवस्था में मूलतः सुधारों सहित समस्त व्यवस्था में मूल परिवर्तन किये जाये । राजव्यवस्था के विविध अंग अपने दायित्वों के प्रति सजगता को अपनावे, साथ ही अपनी मर्यादाओं और सीमाओं की दृष्टि में रखे और राजव्यवस्था के विविध अंग परस्पर सहयोग दृ सामंजस्य के आधार पर संविधान और राजव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें।